

न्यायालय:-वाचस्पति मिश्र,प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय-बैहर

सत्र प्रकरण क मांक-30 / 2017

फाईलिंग नंबर-85 / 2017

सी.एन.आर. नंबर-MP5005-000214-2017

संस्थित दिनांक-18.07.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र-बैहर

तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

हनीफ उर्फ हन्नू पिता हमीद खान उम्र 70 वर्ष

जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम आबकारीटोला थाना बैहर

तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - अभियुक्त ।

=====

श्री अभिजीत बापट, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन ।

श्री विनोद जैतवार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-हनीफ उर्फ हन्नू ।

=====

-// // निर्णय // -

(आज दिनांक 24 अप्रैल 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 05.05.2016 के पूर्व करीब 12 वर्ष तक आबकारीटोला अंतर्गत थाना बैहर जिला बालाघाट में अभियोक्त्री (जिसका नाम रसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया ।
2. अभियोजन मामला यह है कि अभियोक्त्री वार्ड नंबर 10 बस स्टैंड बैहर की निवासी है जिसका पति करीब 15 वर्ष पूर्व उसे छोड़कर इलाहाबाद चला गया, उसके 05 बच्चे हैं। बस स्टैंड बैहर में एजेंट का काम करने वाले

हन्नू उर्फ हनीफ खान का उसके घर आना जाना था। जान पहचान होने से दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गये। हनीफ उसे निकाह करने और बच्चों का पालन पोषण करने का वचन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था, कई बार निकाह की बात कही, बाद में निकाह कर लेने का कहकर घर आता, खाना-पीना खाता और शारीरिक संबंध करता था जिसकी जानकारी बच्चों एवं पड़ोसियों को भी थी। हनीफ करीब 5-6 माह से निकाह करने कह रहा था न ही निकाह किया और न ही बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, फरियादिया की समाज में बदनामी हो रही है, बदनामी से परेशान होने के कारण हनीफ के विरुद्ध रिपोर्ट करती हूं, कार्यवाही की जावे कि लिखित शिकायत पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 91/2016 धारा 376 भा.द.वि. के तहत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्यक् विवेचना उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कथन लेखबद्ध कराए गए, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण उपरांत इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

3. अभियुक्त हनीफ उर्फ हन्नू के विरुद्ध धारा 376 भा.द.वि. के अधीन आरोप पत्र तैयार कर, आरोप पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया तथा अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना एवं उसे झूठा फंसाया जाना बताया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु अवधार्य प्रश्न यह है कि :-

1- क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.05.2016 के पूर्व करीब 12 वर्ष से आबकारीटोला बैहर अंतर्गत थाना व तहसील बैहर जिला बालाघाट में अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया ?

अवधार्य प्रश्न का निष्कर्ष :-

4. अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन बयान में यह व्यक्त किया है कि घटना के पूर्व से उसके पति ताहिर उसे छोड़कर इलाबाद चले गये थे। आगे यह व्यक्त किया है कि उक्त अवधि में आरोपी का उसके घर आना जाना था तथा उसने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध (Sexual Inter Course) स्थापित किया। अपने बयान के पद क्रमांक 1 के अंतिम भाग में यह व्यक्त किया है कि आरोपी पिछले 12 वर्ष पूर्व से उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। बाद में आरोपी उसे बेसहारा छोड़कर चला गया। आगे यह व्यक्त किया है कि आरोपी ने निकाह का वचन देकर उसे बिना निकाह के छोड़कर चला गया। तब उसने बैहर थाने में लिखित शिकायत प्र.पी. 1 प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर बैहर पुलिस ने प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना दर्ज की थी। जिस पर साक्षी ने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है।

5. भुवनप्रसाद (अ.सा.4) प्रधान आरक्षक बैहर ने अपने बयान में यह व्यक्त किया है कि उसने अभियोक्त्री लिखित शिकायत प्र.पी. 1 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भा.द.वि. प्रथम सूचना प्र.पी. 2 का पंजीकरण किया जाना बतलाया है तथा अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रेषित करने पर परीक्षण किया जाना बतलाया है। आगे व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष नक्शामौका प्र.पी. 4 निर्मित किया था। साक्षी ने स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष द.प्र.सं. 164 के तहत कथन भी अभिलिखित कराया जाना व्यक्त किया है।

6. बचाव पक्ष से यह तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार है। यह भी आधार लिया गया है कि अभियोक्त्री ने घटना के संबंध में अत्यधिक विलंब से रिपोर्ट लेख कराई है। उक्त आधार पर अभियोक्त्री की विश्वसनीयता पर प्रबल आक्षेप किया गया है। इसके विपरीत अभियोजन ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शारीरिक शोषण कर, बलात्कार कर गंभीर अपराध कारित किया है।

7. उभयपक्ष के तर्क के तारतम्य में अभियोक्त्री के बयान की सूक्ष्म संवीक्षा की गई।

8. लैंगिक अपराध के संबंध में मात्र विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित किए जाने के आधार पर अभियोजन का संपूर्ण कथानक अभिलेख से समाप्त नहीं हो जाता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत :- **गुरमीत सिंह** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।
न्यायदृष्टांत :- The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996 .Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .

The testimony of the victim in such cases is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement, the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires confidence and is found to be reliable. Seeking corroboration of her statement before relying upon

the same, as a rule, in such cases amounts to adding insult to injury. Why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation, be viewed with doubt, disbelief or suspicion? The Court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy its judicial conscience, since she is a witness who is interested in the outcome of the charge levelled by her, but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of an accused. The evidence of a victim of sexual assault stands almost at par with the evidence of an injured witness and to an extent is even more reliable. Just as a witness who has sustained some injury in the occurrence, which is not found to be self inflicted, is considered to be a good witness in the sense that he is least likely to shield the real culprit, the evidence of a victim of a sexual offence is entitled to great weight, absence of corroboration notwithstanding. Corroborative evidence is not an imperative component of judicial credence in every case of rape. Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances. It must not be overlooked that a woman or a girl subjected to sexual assault is not an accomplice to the crime but is a victim of another

persons's lust and it is improper and undesirable to test her evidence with a certain amount of suspicion, treating her as if she were an accomplice. Inferences have to be drawn from a given set of facts and circumstances with realistic diversity and not dead uniformity lest that type of rigidity in the shape of rule of law is introduced through a new form of testimonial tyranny making justice a casualty. Courts cannot cling to a fossil formula and insist upon corroboration even if, taken as a whole, spoken of by the victim of sex crime strikes the judicial mind as probable. In State of Maharashtra Vs. Chandraprakash Kewalchand Jain (1990 (1) SCC 550) Ahmadi, J. (as the Lord Chief Justice then was) speaking for the Bench summarised the position in the following words:

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is

that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to illustration .

(b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction of her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

9. अभियोक्त्री के बयान में यह आया है कि आरोपी करीब 10-12 वर्ष से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। लेकिन साक्षी ने जिरह के पैरा 10 में यह स्पष्ट किया है कि उसके पति ताहिर के चले जाने के बाद उसे और उसके बच्चों को भरणपोषण के लिए सहारे की जरूरत थी। यह भी स्पष्ट किया है कि इसी गरज से उसने आरोपी से प्रेम संबंध किए। यह स्पष्ट किया है कि उक्त प्रेम संबंध हो जाने के कारण अभियुक्त और वह पति-पत्नी जैसे संयुक्त रूप से निवास करते थे। यह भी स्पष्ट किया है कि खाना खर्चा की राशि न दिए जाने के कारण उसने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी।

10. अभियोक्त्री के बयान का संपूर्ण अध्ययन करने पर वह प्रस्तुत प्रकरण में एक सहमत पक्षकार होना प्रतीत होती है। उपर्युक्त दशा में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 376 भा.द.वि. के आवश्यक तत्वों का अभाव पाया जाता है।

11. उक्त संदर्भ में नूरी (अ.सा.2), फरीद खान (अ.सा.3) ने अपने बयान में यह व्यक्त किया है कि आरोपी उसकी मम्मी अभियोक्त्री के साथ रात में एक ही कमरे में रहता था तथा उनका खर्च वहन करता था। उक्त साक्षियों के बयान में यह भी आया है कि वर्तमान में आरोपी ने उनकी आर्थिक मदद करना बंद कर दिया है तब उनकी मम्मी/अभियोक्त्री ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट संस्थित कराई थी। उक्त दशा में नूरी (अ.सा.2), फरीद खान (अ.सा.3) के बयान में आरोपी के विरुद्ध कोई इनकिमिनेटिंग तथ्य उद्भूत नहीं होते हैं। संतोष चौबे अ.सा.7 ने भी समान आशय का अभिकथन किया है।

12. इसके विपरीत शेख महफूज (अ.सा.5) ने अभियोजन मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने महफूज (अ.सा.5) का पक्षद्रोही घोषित कर जिरह भी किया है अथवा अविश्वास किया है।

13. इसके विपरीत भुवनप्रसाद (अ.सा.4), शिवाजी तिवारी (अ.सा.8), भागवती बघेल एवं डॉ. हरीश मसराम (अ.सा.6) ववेचना से संबंधित औपचारिक साक्षी है एवं उनके बयान के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

14. शिवाजी तिवारी (अ.सा.8) स.उ.नि. ने यह व्यक्त किया है कि उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौकानक्शा प्र.पी. 4 निर्मित किया जाना, साक्षियों के कथन लिपिबद्ध किया जाना एवं आरोपी को गिरफ्तार कर, मेडिकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया है। इसी प्रकार भागवती ने जिला चिकित्सालय बालाघाट से अभियोक्त्री की वैजाइनल स्लाइड, प्यूबिक हेयर सीलबंद पैकेट प्राप्त होने पर थाने में प्रस्तुत कर जप्ती प्र.पी. 7 निर्मित किए जाने के तथ्य को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया है। इसी प्रकार आरक्षक रामू के द्वारा आरोपी के प्यूबिक हेयर के सीलबंद पैकेट प्रस्तुत करने पर जप्ती पत्र प्र.पी. 6 की कार्यवाही साक्षी ने किया जाना बतलाया है।

15. डॉ. हरीश मसराम (अ.सा.6) की साक्ष्य में यह आया है कि आरोपी के लिंग में पर्याप्त तनाव न होने से सिमन नमूना हेतु स्लाइड निर्मित नहीं की जा सकी। चिकित्सा अधिकारी के उक्त औपचारिक रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

16. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष गुरमीत सिंह के मामले में वर्णित रेसियों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भा.द.वि. के अंतर्गत अपना मामला संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार होना पाई गई है। अतः आरोपी हनीफ उर्फ हन्नू को संदेह का लाभ देते हुए धारा 376 भा.द.वि. के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

18. मामले में जप्त संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

दिनांक : 24 अप्रैल 2018

मेरे बोलने पर मुद्रित।

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर